भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3576

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसंरचना का उन्नयन

3576. श्री अ. मनि:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसंरचना का उन्नयन करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;
(ग) राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन क्रमश: कितने-कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं;
(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में किए गए अनुसंधान के संबंध में प्रायोगिक/परीक्षण प्लॉट के अलावा किन्हीं तकनीकों/पद्धतियों को कार्यान्वित किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगातर प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 7730.76 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया था। बुनियादी ढांचे में प्रशासनिक भवन, किसानों के लिए छात्रावास, प्रदर्शन इकाई और कृषि विकास कार्य (फार्म डेवलपमेंट वर्क्स) शामिल हैं।

(ख) : सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए एक मजबूत निगरानी और समीक्षा क्रियाविधि सृजित की है ताकि इन्हें जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक जीवंत एवं प्रभावी संस्थान बनाया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी), कृषि विश्वविद्यालयों और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों की निगरानी एवं समीक्षा क्रमश: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विश्वविद्यालय तथा जिला स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है।

सरकार द्वारा पंचवर्षीय समीक्षा दल और तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) के माध्यम से भी कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्य एवं कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है। पिछले ऐसे मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्ट्यूट) तथा इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली द्वारा क्रमश: वर्ष 2019 व 2020 में किए गए थे। इन मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं : प्रति हेक्टेयर रुपये 5752 की अतिरिक्त शुद्ध कृषि आय का सृजन करने में कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयास, कृषि विज्ञान केंद्र पर किए गए व्यय पर लाभ की अति उच्च दर (1:11.78 लाभ लागत अनुपात), कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित एक प्रशिक्षु किसान द्वारा 30 सहकर्मी किसानों को प्रौद्योगिकी/जानकारी का प्रसार, आउटरीच में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण में कृषिरत महिलाओं के अनुपात में वृद्धि तथा बीज व रोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि।

(ग) : राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), एनजीओ और कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या क्रमश: 38, 66, 101 तथा 509 है।

(घ) एवं (ङ) : विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत भाकृअनुप द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यों से विकसित प्रौद्योगिकियों को इनकी स्थान-विशिष्टता का पता लगाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा इसके आकलन हेतु इन प्रौद्योगिकियों का खेतों में प्रदर्शन किया गया। किसानों द्वारा प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाए, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेतों पर बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी संचालित करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल, पशुधन, मात्स्यिकी, फार्म मशीनरी और अन्य उद्यमों से संबंधित विविध प्रौद्योगिकियों पर कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के खेतों में प्रौद्योगिकियों के 1.32 लाख मूल्यांकन परीक्षण तथा 8.69 लाख प्रदर्शन आयोजित किए गए।

****